

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास - मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 13/2020

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम  
अभिहित अधिकारी, नागौर

रामदीन विश्नोई पुत्र अबाराम जाति विश्नोई  
निवासी गांव कंवलीसर, तहसील व जिला नागौर।  
फर्म-दूधिया।

आदेश


दिनांक : 17.12.2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को दिनांक 26.05.2020 को गांधीवाडी नागौर मे एक दूध विक्रेता की मोटर साइकिल रुकवाकर निरीक्षण किया जो कि खाद्य पदार्थ दूध मोटर साइकिल आरजे-21 एस डब्ल्यू 2072 पर दो लोहे के केनों मे ले जा रहा था तथा दूध विक्रेता से नाम पता पूछने पर अपना नाम रामदीन विश्नोई पुत्र अबाराम विश्नोई जाति विश्नोई निवासी कंवलीसर, तहसील व जिला नागौर का होना बताया। खाद्य पदार्थ दूध में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1256 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 93/एक्ट/2020/48 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ दूध का नमूना Sub-Standard होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त रामदीन विश्नोई पुत्र अबाराम विश्नोई जाति विश्नोई निवासी कंवलीसर, तहसील व जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 10-06-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब दिनांक 17.12.2020 को पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे बताया कि मेरे यहां से जो दूध का जो सेम्पल जांच हेतु लिया गया था। उसमे किसी प्रकार का हानिकारक तत्व नहीं पाया गया है और भविष्य मे ऐसा पुनः नहीं करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को ड्रॉप करने का निवेदन किया है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 93/एक्ट/2020/48 दिनांक 04.03.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ दूध का नमूना Sub-Standard पाया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी रामदीन विश्नोई पुत्र अबाराम विश्नोई जाति विश्नोई निवासी कंवलीसर, तहसील व जिला नागौर पर रू. 15,000/- अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मनोज कुमार)  
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
नागौर (राजस्थान)